

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 686 /F-2016-04-01362/ब-4/चार, नया रायपुर, दिनांक 22/08/2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

गृह विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/वन विभाग/आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/विधि एवं विधायी कार्य विभाग/कृषि विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पशुधन विकास विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/मछलीपालन विभाग/पर्यटन विभाग/सूचना एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग

विषय :- पी.एफ.एम.एस. (Public Financial Management System) क्रियान्वयन के संबंध जानकारी उपलब्ध कराने बाबत

—00—

केन्द्रीय योजनाओं के तहत राशि प्रवाह एवं उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु लागू Public Financial Management System (PFMS) प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक दिनांक 11.08.2017 को आयोजित किया गया था। बैठक में एजेन्डावार चर्चा पश्चात् योजना संबंधी विभागों द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के संबंध में चैक लिस्ट तैयार किया गया है। चैक लिस्ट पत्र के साथ संलग्न है। कृपया कार्यवाही पूर्ण कर 15 दिवस के भीतर उसका विवरण चैक लिस्ट अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- पी.एफ.एम.एस. (Public Financial Management System) क्रियान्वयन के संबंध मार्ग दर्शिका तथा अन्य समस्त प्रकार के जारी निर्देश/पत्र वित्त विभाग के वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in/> में उपलब्ध है।

संलग्न :- चैक लिस्ट।



(डॉ. कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृष्ठां.क्र. 687 /F-2016-04-01362 /ब-4 /चार,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 22/08/2017

सूचनार्थ।

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर


उपसचिव
वित्त विभाग

**Public Financial Management System (PFMS) का क्रियान्वयन
हेतु चेक लिस्ट**

| स. क्र. | विवरण | हाँ | नहीं | रिमार्क |
|---------|---|-----|------|---------|
| 1. | क्या विभाग के माध्यम से राज्य में संचालित समस्त Central Sector (CS) Scheme तथा Central Assistance to State Plan (CASP) का Creation PFMS Portal में किया जा चुका है। | | | |
| 2. | क्या उपरोक्तानुसार Created योजनाओं का Mapping Central Sector (CS) Scheme तथा Central Assistance to State Plan (CASP) से किया जा चुका है। | | | |
| 3. | क्या इस आशय का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है कि किसी योजना Creation तथा उसकी Mapping का कार्य शेष नहीं है। | | | |
| 4. | क्या State Dept. MIS User हेतु उपयुक्त अधिकारी का नामांकन किया जा चुका है। यदि हां तो जानकारी प्रारूप- "I" में अंकित करें। | | | |
| 5. | क्या State Scheme Manager हेतु उपयुक्त अधिकारी का नामांकन किया जा चुका है। यदि हां तो जानकारी प्रारूप- "I" में अंकित करें। | | | |

प्रारूप-“1” State Dept. MIS User/State Scheme Manager क नामांकन
के संबंध में जानकारी :-

| स. क्र. | योजना का नाम | State Dept.MIS User/State Scheme Manager के रूप में नामांकित अधिकारी का नाम | State Dept.MIS User/State Scheme Manager के रूप में नामांकित अधिकारी का विवरण |
|---------|--------------|---|---|
| | | | 01. Name 02. Official e-mail ID..... 03. Mobile No. 04 Phone No. 05. Designation 06. Date of Birth 07. Hint Question : City or Town where you 08. Answer |

- टीप : 1. कृपया उपरोक्त जानकारी योजनावार प्रेषित करें। एक अधिकारी, एक से अधिक योजना हेतु State Scheme Manager के रूप में नामांकित किया जा सकता है।
2. State Department MIS User का नामांकन समस्त योजनाओं हेतु एक ही अधिकारी का किया जाना है।

6. First Level Agency के संबंध में जानकारी :-

| | |
|--|--|
| विभाग द्वारा संचालित कुल योजनाओं की संख्या | |
|--|--|

योजनावार First Level Agency के नामांकन संबंधी जानकारी :-

| स.क्र. | योजना का नाम | First Level Agency के रूप में नामांकित अधिकारी का पदनाम | First Level Agency अधिकारी का सामान्य विवरण |
|--------|--------------|---|--|
| | | | 01. Name 02. Official e-mail ID..... 03. Mobile No. 04. Phone No. 05. Designation 06. Date of Birth 07. Hint Question : City or Town where you 08. Answer |

टीप : कृपया उपरोक्त जानकारी योजनावार प्रेषित करें। एक अधिकारी, एक से अधिक योजना हेतु First Level Agency के रूप में State Scheme Manager द्वारा नामांकित एवं अनुमोदित किया जा सकता है।

7. Second Level Agency के संबंध में जानकारी :-

| स.क्र. | योजना का नाम | First Level Agency अधिकारी का पदनाम | Second Level Agency के रूप में संभावित स्तर तथा अधिकारियों की संख्या | Second Level Agency के रूप में स्तरवार नामांकित तथा अनुमोदित अधिकारी की संख्या | रिमार्क |
|--------|--------------|-------------------------------------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

टीप :- 1. Second Level Agency का नामांकन तथा अनुमोदन First Level Agency द्वारा किया जावेगा। Second Level Agency की संख्या, योजना की आवश्यकता अनुसार First Level Agency द्वारा तय किया जावेगा।

2. इसी प्रकार यदि आवश्यकता हो तो Third Level Agency का नामांकन तथा अनुमोदन Portal पर Second Level Agency द्वारा किया जावेगा। Third Level Agency की संख्या, योजना की आवश्यकता अनुसार Second Level Agency द्वारा तय किया जावेगा।